

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 मार्च 2011—चैत्र 5, शक 1933

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 26 मार्च 2011

क्रमांक एफ-44/9/2011/बीस-2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 है।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा।
- (3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35);
- (ख) "आंगनवाड़ी" से अभिप्रेत है, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की समेकित बाल विकास स्कीम के अधीन स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्र;
- (ग) "विकास खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी" से अभिप्रेत है, विकास खण्ड स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी;
- (घ) "अध्याय" "धारा" तथा "अनुसूची" से अभिप्रेत है, क्रमशः अधिनियम के अध्याय, धारा तथा अनुसूची;
- (ङ) "पार्षद" से अभिप्रेत है, शहरी स्थानीय निकाय के वार्ड का निर्वाचित सदस्य;
- (च) "जिला" से अभिप्रेत है, राज्य का राजस्व जिला;
- (छ) "जिला शिक्षा अधिकारी" से अभिप्रेत है, जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंध के लिए जिम्मेदार अधिकारी;
- (ज) "पड़ोस की विस्तारित सीमा" से अभिप्रेत है, खण्ड (ट) के अधीन परिभाषित पड़ोस की सीमा के पड़ोस क्षेत्र;
- (झ) "ग्राम सभा" का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 2 के खण्ड (सात) में उसके लिए समनुदेशित किया गया है;
- (ञ) "जन शिक्षक" से अभिप्रेत है, ऐसा शिक्षक जो स्कूल के समूह में शैक्षणिक क्रियाकलापों का समन्वय करे ;
- (ट) "पड़ोस की सीमा" से अभिप्रेत है, कक्षा एक से पांच की दशा में, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो, तथा नगरीय क्षेत्र में, वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो, तथा कक्षा छह से आठ की दशा में, इस सीमा से 3 किलोमीटर का क्षेत्र;

- (ठ) "मिडिल स्कूल" से अभिप्रेत है, ऐसा स्कूल जो कक्षा छह से आठ तक की शिक्षा देता है;
- (ड) "पंच" से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायत के किसी वार्ड का निर्वाचित सदस्य;
- (ढ) "प्राथमरी स्कूल" से अभिप्रेत है, ऐसा स्कूल जो कक्षा एक से पांच तक की शिक्षा देता है;
- (ण) "राज्य शिक्षा केन्द्र" से अभिप्रेत है, प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंध के लिए जिम्मेदार विभागाध्यक्ष का कार्यालय;
- (त) "स्कूल मानचित्रण (स्कूल मैपिंग)" से अभिप्रेत है, सामाजिक अवरोधों तथा भौगोलिक दूरी को दूर करने के लिए स्कूल स्थान की योजना बनाना।

(2) समस्त अन्य शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इसमें उपयोग की गई हैं तथा परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं का क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित किया गया है।

3. स्कूल से बाहर के बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण.

- (1) स्कूल प्रबंधन समिति धारा 4 के अधीन यथाउपबंधित स्थानीय प्राधिकारी के मार्गदर्शन के अधीन विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करेगी तथा निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करेगी, अर्थात्:-
 - (क) विशेष प्रशिक्षण, विशेषकर बालक की आयु के अनुरूप सीखने की सामग्री के आधार पर होगा जो धारा 29 में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा;
 - (ख) यह स्कूल परिसर में लग रही कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय वास स्थान में आयोजित कक्षाओं के माध्यम से दिया जाएगा;
 - (ग) स्कूल में कार्य कर रहे शिक्षकों या इस प्रयोजन के लिए विशेषरूप से नियुक्त किए गए शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा;
 - (घ) प्रशिक्षण न्यूनतम तीन माह की कालावधि का होगा जो सीखने की प्रगति के नियतकालिक निर्धारण के आधार पर अधिकतम दो वर्षों से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा;
- (2) विशेष प्रशिक्षण के पश्चात् आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेशित बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे वह शैक्षणिक रूप से तथा भावनात्मक रूप से कक्षा के अन्य बालकों के साथ सफलतापूर्वक समाहित हो सके।

4. धारा 6 के प्रयोजन हेतु क्षेत्र या सीमा.

- (1) क्षेत्र या पड़ोस (आसपास) की सीमाएं जिनके भीतर राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्थापित किया जाना है, नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित क्षेत्र या सीमा होगी।
- (2) राज्य सरकार, जब भी आवश्यक समझे, कक्षा एक से पांच के विद्यमान स्कूलों का कक्षा छह से आठ को शामिल कर उन्नयन कर सकेगी। स्कूलों के संबंध में जिनमें कक्षा छह से आगे की कक्षाएं लगती हैं, राज्य सरकार, जब आवश्यक समझे, कक्षा एक से पांच लगाने का प्रयास करेगी।
- (3) जटिल मैदानी क्षेत्र, भूस्खलन, बाढ़ का जोखिम, सड़कों का अभाव तथा सामान्यरूप में युवा (छोटे) बालकों को उनके घर से स्कूल पहुंचने के लिए खतरा हो, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमा को कम करते ऐसी रीति में स्कूल की स्थापना करेगी जिससे ऐसे खतरों से बचा जा सके।
- (4) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए छोटे बसाहटों या किसी अन्य स्थान जहां कि उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र या आस पास (पड़ोस) की सीमाओं के भीतर कोई स्कूल विद्यमान नहीं है, किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उप नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं को शिथिल करते हुए पर्याप्त इन्तजाम किए जाएंगे जैसे निःशुल्क परिवहन, आवासीय सुविधा तथा अन्य सुविधाएं।
- (5) अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी, 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक या एक से अधिक पड़ोसी (आसपास) स्कूल की स्थापना कर सकेगी।
- (6) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे पड़ोस के स्कूलों को चिन्हित करेगा जहां बालकों को प्रवेशित किया जा सके तथा उसकी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक बसाहट के लिए ऐसी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
- (7) बालक जिनका निःशक्तता के कारण स्कूल पहुंचना बाधित होता है, के संबंध में राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी उनके लिए समुचित तथा सुरक्षित परिवहन व्यवस्था का प्रयास करेगी जिससे वे स्कूल में उपस्थित हो सकें तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर सकें।
- (8) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बालकों का स्कूल में पहुंचना सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणों से बाधित न हो।

5. राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य.

(1) पड़ोसी स्कूल का अवधारण करने तथा स्थापित करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी स्कूल का मानचित्रण (मैपिंग) तथा समस्त बालकों को चिन्हित करने की, जिसमें दूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे बालक, निःशक्त बालक, वंचित समूह के बालक, कमजोर वर्गों के बालक तथा धारा 4 में निर्दिष्ट बालक भी सम्मिलित हैं, नियमों के प्रकाशन होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष यह कार्यवाही करेगी।

(2) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूल में किसी भी बालक के साथ जाति, वर्ग, धर्म या लिंग के आधार पर दुर्व्यवहार न हो।

(3) धारा 8 के खण्ड (ग) तथा धारा 9 के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कमजोर वर्ग के बालकों तथा वंचित समूह के बालकों को कक्षा में, मध्याह्न भोजन के समय, खेल के मैदान में, सामान्य पेयजल तथा शौचालय सुविधा के उपयोग तथा शौचालय या कक्षा के कमरों की सफाई में न तो चिन्हित किया जाएगा और न ही कोई भी विभेद किया जाएगा।

(4) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्व या नियंत्रित स्कूलों में अध्यनरत समस्त बालिकाओं और अनुसूचित जातिया अनुसूचित जनजातियों से संबंधित और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के बालकों को निःशुल्क गणवेश उपलब्ध हो।

6. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का संधारण.

(1) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता में गृह सर्वेक्षण के माध्यम से जन्म से 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने वाले सभी बालकों के अभिलेख संधारित किए जाएंगे। प्रत्येक बालक के नामांकन, उसकी उपस्थिति तथा उसके सीखने के स्तर की उपलब्धि की मानीटरिंग के लिए प्रत्येक बालक को एक यूनिक नंबर दिया जा सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख प्रतिवर्ष अद्यतन किए जाएंगे।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख के संधारण में पारदर्शिता रखने के लिए इसे सार्वजनिक जानकारी के लिए रखा जाएगा तथा धारा 9 के खण्ड (ड.) के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख में प्रत्येक बालक के संबंध में जानकारी में सम्मिलित होगा,—

- (क) नाम, लिंग, जन्मतिथि, जन्म स्थान;
- (ख) पालक/अभिभावक का नाम, पता, व्यवसाय;
- (ग) पूर्व प्राथमिक स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्र, जहां बालक (6 वर्ष की आयु तक) प्रवेशित रहा हो;
- (घ) प्रारंभिक शिक्षा प्रदाय करने वाला स्कूल जहां बालक प्रवेशित है;
- (ङ.) बालक का वर्तमान पता ;
- (च) कक्षा जिसमें बालक अध्ययनरत है (6-14 वर्ष के बालकों के लिए), और यदि स्थानीय प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता में बालक की शिक्षा में निरंतरता नहीं रही हो तो ऐसी निरंतरता के समापन के कारण;
- (छ) क्या बालक धारा 2 के खण्ड (ड.) के अर्थ के अंतर्गत कमजोर वर्ग का है;
- (ज) क्या बालक धारा 2 के खण्ड (घ) के अर्थ के अंतर्गत वंचित समूह का है;
- (झ) प्रवासीय परिवार और कम घनत्व की बसाहट होने के कारण, आयु आधारित प्रवेश के कारण और निशक्तता के कारण बालकों के लिए आवश्यक विशेष सुविधा/आवासीय सुविधा की विस्तृत जानकारी।

7. कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बालकों का प्रवेश.

- (1) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेशित बालकों को न तो कक्षा में दूसरे बालकों से पृथक् रखा जाएगा और न ही इन बालकों की कक्षाएं अन्य बालकों की कक्षाओं के स्थान व समय से भिन्न होंगी।
- (2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेशित बालकों के साथ पाठ्यपुस्तकों, गणवेश, पुस्तकालय, सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा की जानकारी, पाठ्येत्तर एवं खेल की गतिविधियों जैसी पात्रता और सुविधाओं से संबंधित किसी भी रीति में स्कूल के दूसरे बालकों की अपेक्षा भेदभाव न हो।

- (3) नियम 4 (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या पड़ोस की सीमा धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेश के लिए लागू होगी:

परंतु स्कूल में धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्थानों का अपेक्षित प्रतिशत की पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए, नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ज) के अधीन यथापरिभाषित विस्तारित पड़ोस की सीमा के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा।

- (4) जनशिक्षक अपनी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक गैर अनुदान प्राप्त स्कूल, अनुदान प्राप्त स्कूल तथा विनिर्दिष्ट श्रेणी के स्कूल के पड़ोस की सीमाओं में वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों की एक सूची संधारित करेगा।

8. राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति.

धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए गए अनुसार प्रत्येक वर्ष के शैक्षणिक सत्र के अंत में, मार्च में, की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए प्रथम शैक्षणिक सत्र 2011-12 होगा।

9. प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण-पत्र.

जहां जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 (1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध न हो वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा—

- (क) अस्पताल/सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ (ए.एन.एम.) का रजिस्टर रिकार्ड;
- (ख) आंगनवाड़ी का रिकार्ड;
- (ग) पालक या अभिभावक द्वारा बालक की आयु का स्व घोषणा पत्र

बशर्ते कि बालक के पालक या अभिभावक को बालक की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाणपत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां कि वह रहता है/रहती है के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि से प्रवेश के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

10. प्रवेश की विस्तारित कालावधि.

- (1) किसी स्कूल में प्रवेश की विस्तारित अवधि शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अंतिम तारीख से तीन मास की होगी.
- (2) जहां किसी बालक को किसी स्कूल में विस्तारित की गई अवधि के पश्चात् प्रवेश दिया गया है, वहां वह विशेष प्रशिक्षण की सहायता से पूर्ण अध्ययन के लिए पात्र होगा/होगी जैसा कि स्कूल प्रमुख द्वारा अवधारित किया जाए।

11. स्कूल की मान्यता.

(1) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्व के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्कूल से भिन्न प्रत्येक स्कूल अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात् प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किए हैं, नियमों के प्रकाशन के पश्चात् चार माह की कालावधि के भीतर इन नियमों से संलग्न प्ररूप—एक में एक आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को करेगा जो धारा 18 के अधीन स्कूल की मान्यता का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पदाभिहित अधिकारी होगा। आवेदन में स्कूल के पड़ोस की सीमा के ब्यौरे होंगे जो धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपबंध के अधीन होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी को संबंधित आवेदन विकास खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ऐसी रीति में प्रस्तुत किया जाएगा जैसी कि आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा अवधारित की जाए। स्कूल इस प्रयोजन के लिए संधारित वेवसाइट पर इलेक्ट्रानिक रूप में जानकारी प्रस्तुत करेगा ताकि स्कूल की जानकारी जनता के लिए उपलब्ध हो।

(2) विकास खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी आवेदन प्ररूप में स्कूल द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करेगा तथा आवेदन प्ररूप मूलतः अपनी रिपोर्ट के साथ जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर विचारण के लिए भेजेगा।

(3) यदि स्कूल धारा 19 के अधीन विहित मानक तथा मापदण्डों को पूरा करने पर मान्यता चाहता है तो जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल का निरीक्षण कर सकेगा या सत्यापन हेतु निरीक्षण करवा सकेगा। जिला शिक्षा अधिकारी तथा जांच करने वाला प्राधिकारी यदि वह जिला शिक्षा अधिकारी से भिन्न हैं तो उसे मान्यता प्रदान करने के लिए सुसंगत जानकारी चाहने की शक्ति होगी और मान्यता चाहने के लिए आवेदन प्ररूप में प्रस्तुत की गई जानकारी सत्यापित करने हेतु अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा।

(4) (क) जिला शिक्षा अधिकारी की सन्तुष्टि पर, कि स्कूल धारा 19 के अधीन विहित सन्नियमों एवं मानकों की पूर्ति करता है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप-2 में मान्यता प्रमाणपत्र जारी करेगा। प्रमाणपत्र तीन वर्ष की कालावधि के लिए होगा तथा मान्यता के लिए आवेदन करने की तारीख से 45 दिन के भीतर जारी किया जाएगा। मान्यता प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:—

(एक) स्कूल धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों तथा मानकों को बनाए रखेगा;

(दो) स्कूल अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा एक में न्यूनतम 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) प्रवेश देगा। उस दशा में, जब स्कूल सहायता प्राप्त स्कूल है, उसमें प्रवेशित बालकों के उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्ययों को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अध्यधीन होगा :

परंतु जहां स्कूल, पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा प्रदान करता है वहां धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) तक के उपबंध पूर्व स्कूल में प्रवेश हेतु लागू होंगे;

(तीन) स्कूल, भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता—भाग 4 (नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया पार्ट—4) के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्निशामक यंत्र एवं अन्य अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करेगा;

(चार) स्कूल, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा;

(पांच) स्कूल, ऐसी रिपोर्ट तथा जानकारी प्रस्तुत करेगा जो कि राज्य सरकार, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, समय-समय पर, अपेक्षित की जाए तथा राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए स्कूल के कार्यकरण में कमियों को दूर करने या मान्यता की शर्तों की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाएं;

(छह) स्कूल प्रतिवर्ष बालकों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जो आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निदेशित करें। इस फीस की सूचना शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाएगी;

- (सात) मान्यता के निबंधन एवं शर्तों के अतिक्रमण की दशा में मान्यता वापस ले ली जाएगी;
- (ख) स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन उपनियम (1) में विहित रीति में मान्यता की कालावधि की समाप्ति के कम से कम 45 दिन पूर्व करेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, जिला शिक्षा अधिकारी उपनियम (2) और (3) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् अगले तीन वर्ष के लिए स्कूल की मान्यता का नवीकरण कर सकेगा।
- (5) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व स्थापित कोई स्कूल, अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों तथा मानकों की पूर्ति नहीं करता है तो जिला शिक्षा अधिकारी अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष तक की कालावधि के लिए स्कूल चलाने की अनुज्ञा देते हुए अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगा। अनंतिम प्रमाण पत्र नियमों से संलग्न प्ररूप-3 में जारी किया जाएगा :

परंतु यदि स्कूल, अनंतिम प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर अपेक्षित सन्नियमों एवं मानकों की पूर्ति करता है, तो प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी, मान्यता हेतु आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं की संतुष्टि करेगा तथा उपनियम (4)के अधीन अधिकथित मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा:

परंतु यह और कि यदि स्कूल, अनंतिम प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर और आगे मान्यता का दावा नहीं करता है तो स्कूल की मान्यता समाप्त हो जाएगी तथा ऐसे किसी स्कूल को चलाना धारा 18 के अधीन दण्डनीय होगा।

- (6) अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् धारा 18 के अधीन जारी किया गया मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना कोई नवीन स्कूल नहीं खोला जाएगा।
- (7) जहां किसी स्कूल द्वारा मान्यता की शर्तों या अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो मान्यता प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी, मान्यता प्रदान करने की शर्तों के उल्लंघनों को विनिर्दिष्ट करते हुए स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। स्कूल को उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कम से कम एक माह का समय दिया जाएगा। संतोषजनक स्पष्टीकरण न पाए जाने की दशा में या निश्चित समयावधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में, जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षाविदों, नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पत्रकारों तथा शासकीय प्रतिनिधियों को समाविष्ट करते हुए तीन से पांच सदस्यों की

समिति द्वारा संचालित स्कूल का निरीक्षण करवा सकेगा जो सम्यक् जांच करेगी तथा मान्यता को चालू रखने या उसे वापस लेने के लिए अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। समिति की रिपोर्ट तथा सिफारिशें प्राप्त होने पर जिला शिक्षा अधिकारी मान्यता वापस लेने के लिए आदेश पारित करेगा:

परंतु मान्यता वापस लेने के लिए कोई आदेश स्कूल को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसा कोई आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा।

- (8) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पारित मान्यता वापस लेने का आदेश ठीक उत्तरवर्ती शैक्षणिक वर्ष से प्रवृत्त होगा तथा उसमें आसपास के उन स्कूलों के नाम विनिर्दिष्ट होंगे जिनमें उस स्कूल के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा।
- (9) किसी स्कूल की मान्यता की सूचना स्थानीय प्राधिकारी को जैसे कि नगरीय क्षेत्र में स्कूल स्थित होने की दशा में नगरीय स्थानीय निकाय को तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल स्थित होने की दशा में ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत को भेजी जाएगी।

12. स्कूल प्रबंधन समिति.

- (1) नियमों के प्रकाशन होने के छह माह के भीतर, इसकी अधिकारिता के भीतर, सहायता न पाने वाले स्कूल के सिवाय, प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल प्रबंधन समिति गठित की जाएगी तथा प्रत्येक दो वर्ष में पुनर्गठित की जाएगी।
- (2)(क) समिति, प्राथमरी स्कूल के लिए 18 सदस्यीय समिति होगी तथा मिडिल स्कूल के लिए 16 सदस्यीय समिति होगी। इसके न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य स्कूल में नामांकित बालकों के माता और पिता या अभिभावकों में से होंगे। दो सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक और वरिष्ठतम महिला शिक्षक समिति के सदस्य होंगे। प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक समिति का पदेन सदस्य—सचिव होगा।

(ख) प्रायमरी स्कूल में निम्नानुसार सदस्य चुने जाएंगे—

(एक) ऐसे प्रत्येक बालक के माता और पिता या अभिभावक जिसने कक्षा एक, दो, तीन और चार में, पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र की वार्षिक परीक्षा में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं;

(दो) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों से संबंधित प्रत्येक एक बालक के माता और पिता या अभिभावक जिसने कक्षा एक से चार में, पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र की वार्षिक परीक्षा में, कमशः उनके प्रवर्ग में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं;

(तीन) नगरीय क्षेत्रों में वार्ड का पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, वार्ड का पंच जहां स्कूल स्थित है;

(चार) नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्थानीय निकाय के महापौर/अध्यक्ष (चेयरपर्सन) द्वारा नामनिर्दिष्ट एक महिला पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा नामनिर्दिष्ट एक महिला पंच जहां स्कूल स्थित है ;

(पांच) स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक और वरिष्ठतम महिला शिक्षक।

(ग) मिडिल स्कूल में निम्नानुसार सदस्य चयनित किए जाएंगे—

(एक) ऐसे प्रत्येक बालक के माता और पिता या अभिभावक जिन्होंने कक्षा पांच, छह तथा सात में, पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र की वार्षिक परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं;

(दो) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों से संबंधित प्रत्येक से एक बालक के माता और पिता या अभिभावक जिसने कक्षा पांच से सात में पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र की वार्षिक परीक्षा में, कमशः उनसे संबंधित प्रवर्ग में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं;

(तीन) नगरीय क्षेत्रों में वार्ड का पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, वार्ड का पंच जहां स्कूल स्थित है,

(चार) नगरीय क्षेत्र में नगरीय स्थानीय निकाय का महापौर/अध्यक्ष (चेयरपर्सन) द्वारा नामनिर्दिष्ट एक महिला पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा नामनिर्दिष्ट एक महिला पंच जहां स्कूल स्थित है;

(पांच) स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक और वरिष्ठतम महिला शिक्षक।

- (3) समिति का एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा।
- (4) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा:

परन्तु निर्वाचित प्रतिनिधि, पार्षद/पंच तथा शिक्षक जिसमें सम्मिलित है प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक, निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे, न ही उन्हें कोई मत देने का अधिकार होगा।

- (5) स्कूल प्रबंधन समिति माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और कार्यवृत्त तथा समिति के निर्णय समुचित रूप से दर्ज किए जाएंगे। अध्यक्ष (चेयरपर्सन) की अनुपस्थिति में, समिति के सदस्य समिति की बैठक के लिए उनमें से एक को अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।
- (6) समिति आसपास से व्यक्ति/व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगी, यदि ऐसा व्यक्ति/ऐसे व्यक्ति की सेवाएं स्कूल के विकास के लिए उपयोगी हों।
- (7) स्कूल प्रबंधन समिति, धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य समूह गठित कर सकेगी:-
 - (क) स्कूल के आसपास की सीमा के जनसमुदाय को, अधिनियम में यथा अभिव्यक्त, बालकों के अधिकार; यथा अभिव्यक्त राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल, माता-पिता तथा अभिभावक के कर्तव्यों को भी सरल तथा रचनात्मक तरीकों से संसूचित करना;
 - (ख) धारा 24 के खण्ड (क) तथा (ङ) तथा धारा 28 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना;
 - (ग) यह मानीटर करना कि शिक्षकों पर धारा 27 में विनिर्दिष्ट से भिन्न गैर शैक्षणिक कर्तव्यों के लिए भार नहीं डाला गया है;
 - (घ) स्कूल के आसपास की सीमा के सभी बालकों का नामांकन और निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना;
 - (ङ) अधिनियम की अनुसूची में विहित मानकों तथा मानदण्डों के बनाए रखे जाने को मानीटर करना;

- (च) बालकों के अधिकारों से किसी विचलन, विशेष रूप से बालकों का मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किए जाने, और धारा 3 (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारी के समयोचित उपबंध स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना;
- (छ) आवश्यकताओं की पहचान करना, योजना तैयार करना, और धारा 4 के उपबंधों के क्रियान्वयन को मानीटर करना;
- (ज) पहचान तथा नामांकन की, तथा निःशक्त बालकों के अध्ययन हेतु प्रसुविधाओं को मानीटर करना और उनकी प्रारंभिक शिक्षा की संपूर्ति सुनिश्चित करना;
- (झ) स्कूल में मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन को मानीटर करना;
- (ञ) स्कूल की प्राप्तियों तथा व्यय का एक वार्षिक खाता तैयार करना;
- (ट) स्कूल के शिक्षकों की नियमितता और समय पालन को मानीटर करना;
- (8) समिति द्वारा प्राप्त किया गया कोई धन समिति के खाते में जमा किया जाएगा। खाता, समिति के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्य-सचिव का संयुक्त खाता होगा। खाता, जब भी अपेक्षित हो, संपरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

13. स्कूल विकास योजना तैयार करना.

- (1) स्कूल प्रबंधन समिति, उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें अधिनियम के अधीन यह प्रथम बार गठित की गई है समाप्ति के कम से कम तीन माह पूर्व एक स्कूल विकास योजना तैयार करेगी।
- (2) स्कूल विकास योजना, तीन वार्षिक उप-योजनाएं समाविष्ट करते हुए एक तीन वर्षीय योजना होगी।
- (3) स्कूल विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे—
- (क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षा-वार नामांकन का आकलन;
- (ख) तीन वर्ष की कालावधि के दौरान कक्षा एक से कक्षा पांच तक तथा कक्षा छह से आठ के लिए पृथक् पृथक् प्रधान शिक्षक, विषयवार शिक्षक तथा अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मिलित करते हुए अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या की गणना अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानक के संदर्भ के अनुसार आवश्यकता;

(ग) तीन वर्ष की कालावधि में, अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानक तथा मानदण्डों के संदर्भ सहित प्राक्कलित अतिरिक्त अधोसंरचना तथा उपकरणों की भौतिक आवश्यकता;

(घ) तीन वर्ष के दौरान की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण प्रसुविधा उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता सम्मिलित करते हुए उपरोक्त खण्ड (ख) तथा (ग) के संबंध में वर्षवार, बालकों की हकदारी जैसे निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा गणवेश और अधिनियम के अधीन स्कूल की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता।

(4) स्कूल विकास योजना, स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए तथा उस वित्तीय वर्ष, जिसमें यह तैयार की गई है, की समाप्ति के पूर्व यथास्थिति, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

14. शिक्षकों का वेतन तथा भत्ता तथा सेवा के निबंधन तथा शर्तें.

शिक्षकों को देय वेतन तथा भत्ते और उनकी सेवा के निबंधन तथा शर्तें निम्नानुसार होंगी—

(एक) सरकारी शिक्षकों की दशा में, उनका वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं।

(दो) स्थानीय प्राधिकारी के शिक्षकों की दशा में, उनके वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें, राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के उपबंधों के अधीन विनिश्चित किए गए अनुसार होंगी।

(तीन) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (एक) तथा (तीन) के अधीन न आने वाले स्कूलों के शिक्षकों की दशा में, वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें, विधानों तथा विनियमों, यदि कोई प्रवृत्त हों, के अधीन, क्रमशः स्कूल प्रबंधन द्वारा विनिश्चित की जाएंगी। राज्य सरकार, समय-समय पर, इस संबंध में, अपने विवेक से निदेश जारी कर सकेगी जो प्रबंधन पर बाध्यकारी होंगे।

15. शिक्षकों के कर्तव्य.

- (1) धारा 24 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन में तथा धारा 29 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से शिक्षक, प्रत्येक बालक के लिए, विद्यार्थी संचयी अभिलेख अन्तर्विष्ट करते हुए, एक फाइल संधारित करेगा जो धारा 30 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट संपूर्ति प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए आधार होगा।
- (2) धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ड.) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, कोई शिक्षक नियमित अध्यापन में बाधा न डालते हुए, उसको समनुदेशित निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।:
 - (क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी करना;
 - (ख) पाठ्यचर्या विनिर्मिति में भागीदारी करना तथा पाठ्यक्रम का विकास करना, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्य पुस्तक का विकास।
- (3) शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य करने के घंटों की न्यूनतम संख्या, जिसमें तैयारी का समय सम्मिलित करते हुए, 45 घण्टे होगी।

16. शिक्षकों की शिकायत दूर करना.

- (1) धारा 21 के अधीन गठित स्कूल प्रबंधन समिति का उसमें विनिर्दिष्ट स्कूलों के शिक्षकों की शिकायत दूर करने का प्रथम स्तर होगा।
- (2) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, या उसके स्वामित्व के या उसके नियंत्रणाधीन स्कूल का शिक्षक नियंत्रक अधिकारी को शिकायत भेज सकेगा जो शिकायत की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर शिकायत का निराकरण करेगा।
- (3) शिक्षकों की शिकायतों के निराकरण के लिए एक जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी।
- (4) समिति में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मुख्यालयों पर स्थानीय नगरीय निकाय का आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण/जिला संगठक, आदिम जाति कल्याण और जिला शिक्षा अधिकारी समाविष्ट होंगे। कलेक्टर, समिति का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा। जिला शिक्षा अधिकारी, समिति का संयोजक होगा। कलेक्टर, समिति की बैठक में ऐसे

अन्य अधिकारियों को आमंत्रित कर सकेगा जिसे वह शिकायत के प्रतितोषण के प्रयोजन के लिए समुचित समझता है।

- (5) समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में होगी।
- (6) उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट नियंत्रक अधिकारी के विनिश्चय से किसी शिक्षक के संतुष्ट न होने की दशा में, वह समिति के संयोजक को लिखित में शिकायतें प्रस्तुत कर सकेगा। शिकायत, शासकीय शिक्षा पोर्टल के माध्यम से भी प्रस्तुत की जा सकेंगी। समिति, जांच के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, शिकायत का निराकरण करेगी। समिति का संयोजक, समिति के विनिश्चय के एक माह के भीतर, शिक्षक को समिति का विनिश्चय संसूचित करेगा।
- (7) समिति, शिक्षकों से प्राप्त शिकायतों को देखने के अतिरिक्त, अपने आप भी, शिक्षकों की सेवा से संबंधित मामले तथा विभिन्न दावों की प्रारिथिति का पुनर्विलोकन करेगी।
- (8) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (चार) के अधीन आने वाले स्कूल, शिक्षकों की शिकायतों के निराकरण के लिए स्वयं का तंत्र विकसित करेंगे।

17. प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात बनाए रखना.

- (1) अधिनियम लागू होने के छः माह के भीतर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यथास्थिति उसके द्वारा स्थापित या उसके स्वामित्व के या उसके नियंत्रणाधीन विद्यमान स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना के संबंध में ग्रामीण, शहरी एवं स्थानिक असंतुलन को दूर करने हेतु शिक्षक युक्तियुक्तकरण करेगा और अनुसूची में दर्शित शिक्षक छात्र अनुपात को सुनिश्चित करने हेतु रिक्त पदों की भर्ती की कार्रवाई आरंभ करेगा।
- (2) जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षकों की अद्यतन स्कूलवार जानकारी तथा छात्रों का कक्षावार नामांकन, शासकीय शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा। राज्य शिक्षा केन्द्र प्रत्येक वर्ष, शैक्षणिक सत्र के पूर्व शिक्षकों की स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा।
- (3) यदि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का कोई व्यक्ति धारा 25 की उपधारा (2) के उपबंधों का अतिक्रमण करता है तो वह व्यक्तिः अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दायी होगा।

18. पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रक्रिया अभिकथित करने हेतु शैक्षणिक प्राधिकारी.

- (1) राज्य सरकार, धारा 29 के प्रयोजनों के लिए, राज्य शिक्षा केन्द्र की इकाई राज्य शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगी।
- (2) पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रक्रिया अभिकथित करते समय उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी, धारा 29 (2) के उपबंधों पर विचार करेगा।
- (3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी, नियमित आधार पर, बालक की समग्र गुणवत्ता निर्धारण प्रक्रिया की रूपरेखा बनाएगा तथा उसका क्रियान्वयन करेगा।

19. प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र प्रदान करना.

स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक, इन नियमों से संलग्न प्ररूप-4 में, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र जारी करेगा:

परंतु मान्यताप्राप्त स्कूल, मान्यता प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मान्यता प्रमाण पत्र का कमांक प्रमुख रूप से प्रमाणपत्र पर मुद्रांकित करेगा।

20. राज्य सलाहकार परिषद् का गठन.

- (1) राज्य सलाहकार परिषद् अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सह-अध्यक्ष (को-चेयरपर्सन) तथा बारह सदस्यों में मिलकर बनेगी।
- (2) राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री परिषद् के पदेन अध्यक्ष होंगे। राज्य सरकार के आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री पदेन सह-अध्यक्ष होंगे।

- (3) परिषद के सदस्यों को, राज्य सरकार द्वारा, प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से निम्नलिखित रूप में नियुक्त किया जाएगा—
- (क) विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति में से कम से कम एक सदस्य;
- (ख) पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से कम से कम एक सदस्य;
- (ग) शिक्षकों की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से कम से कम एक व्यक्ति।
- (4) आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र परिषद का सदस्य—सचिव होगा। सचिव, स्कूल शिक्षा और सचिव, आदिम जाति कल्याण, यदि वे परिषद के सदस्य नहीं हैं तो विशेष आमंत्रिती होंगे।
- (5) परिषद के कामकाज के सम्पादन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी—
- (एक) परिषद की तीन माह में एक बार बैठक होगी;
- (दो) यदि परिषद के आठ सदस्य उपस्थित हों तो परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति पूर्ण समझी जाएगी।
- (6) परिषद के सदस्यों की नियुक्ति के लिए भत्ते और अन्य निबंधन तथा शर्तें राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर विनिश्चित किए गए अनुसार होंगी।

21. निदेश जारी करने की शक्ति.

राज्य सरकार को किसी ऐसे मुद्दे या कठिनाई का निवारण करने के लिए निदेश जारी करने की शक्ति होगी जो नियमों के क्रियान्वयन के प्रक्रिया में उत्पन्न हों।

प्ररूप 1

(नियम 11 (1) देखिए)

स्कूल की मान्यता के लिए स्व घोषणा-सह-आवेदन

— — — — —(स्थान का नाम) दिनांक— — — — —

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला— — — — —

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विहित सन्नियमों एवं मानकों का पालन करने संबंधी स्व घोषणा और — — — — — (स्कूल का नाम) को मान्यता प्रदान करने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन अग्रेषित करता हूँ।

संलग्न:

भवदीय,

प्रबंध समिति के अध्यक्ष /

प्रबंधक / प्राचार्य

स्कूल का नाम— — — — —

क स्कूल विवरण		
1	स्कूल का नाम	
2	शैक्षणिक सत्र	
3	जिला	
4	डाक का पता	
5	ग्राम का नाम एवं वार्ड क्रमांक	----वार्ड क्रमांक----
6	यदि शहरी क्षेत्र है, शहर का नाम एवं वार्ड क्रमांक	----वार्ड क्रमांक----
7	विकास खण्ड (ब्लाक)	
8	पिनकोड	
9	दूरभाष क्रमांक एस.टी.डी.कोड सहित	
10	फेक्स नम्बर	
11	ई-मेल पता, यदि कोई हो	
12	पुलिस थाना	
13	रेखांश	
14	अक्षांश	

ख सामान्य जानकारी		
1.	स्कूल प्रारंभ होने की तिथि(DDMMYY)	
2.	क्या स्कूल किसी न्यास/ सोसाइटी/ संगठन द्वारा संचालित है ?	हां/ नहीं
3.	यदि हां	
	क- /न्यास/सोसाइटी/संगठन का नाम	
	ख- न्यास/ सोसाइटी/संगठन का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन संबंधी दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)	

4.	यदि नहीं	
	क- स्वामी का नाम	
	ख- पता	
5.	स्कूल के प्रबंधक/अध्यक्ष/सभापति का नाम तथा कार्यालयीन पता-	
	नाम-	
	पदनाम-	
	पता-	
	दूरभाष-	(आफिस)----- (निवास)-----
	मोबाईल नंबर	
	ई-मेल पता	

ग.	स्कूल का प्रकार एवं क्षेत्रफल	
1.	शिक्षण का माध्यम	
2.	प्रवेश की प्रारंभिक कक्षा निर्दिष्ट करें	
3.	प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु	
4.	स्कूल की अंतिम कक्षा	
5.	यदि स्कूल को शासन/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदान प्राप्त है- क. शासन/स्थानीय प्राधिकारी का नाम----- ख. विगत वर्ष में प्राप्त की गई अनुदान राशि----- ग. व्यय के विरुद्ध अनुदान का प्रतिशत -----	
6.	क्या स्कूल मान्यताप्राप्त हैं - हां या नहीं	
7.	यदि हां- • प्राधिकारी का नाम • मान्यता क्रमांक • डाइस कोड	
8.	क्या स्कूल का स्वयं का भवन है या किराए के भवन में संचालित हो रहा है ?	
9.	स्कूल का कुल क्षेत्रफल	
10.	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (स्कूल भवन का फोटोग्राफ संलग्न करें)	

11.	खेल मैदान का क्षेत्रफल	
12.	क्या स्कूल राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और स्थानीय प्राधिकारी से निःशुल्क अथवा रियायती दर पर किसी भूमि, भवन, उपकरण अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त होने के कारण निश्चित संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है।	
13.	यदि हां तो दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।	

घ. नामांकन एवं शुल्क की प्रास्थिति				
	कक्षा	वर्ग की संख्या	छात्रों की संख्या	वार्षिक फीस
1.	प्रि-प्रायमरी, -नर्सरी			
2.	प्रि-प्रायमरी, -के जी-एक			
3.	प्रि-प्रायमरी, -के जी-दो			
4.	एक			
5.	दो			
6.	तीन			
7.	चार			
8.	पांच			
9.	छह			
10.	सात			
11.	आठ			

ड. अधोसंरचना व्यौरे			
	कक्ष	संख्या	औसत आकार
1.	कक्षा कक्ष (क्लास रूम)		
2.	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		
3.	भोजनालय-सह-भण्डार		

च. अन्य सुविधाएं		
1.	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है	
2.	पठन पाठन सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3.	खेलकूद एवं खेल उपकरण (सूची संलग्न करें)	

4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा • पुस्तकें (पुस्तकों की संख्या) • नियतकालिक पत्रिका/समाचार पत्र	
5.	पेयजल सुविधा का प्रकार एवं संख्या	
6.	स्वच्छता की स्थिति (एक) प्रसाधन के प्रकार (दो) लड़कों के लिए पृथक् प्रसाधनों की संख्या (तीन) लड़कियों के लिए पृथक् प्रसाधनों की संख्या	
7.	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ?	

छ. अध्यापन कर्मचारिवृन्द का विवरण			
1. केवल प्राइमरी/ मिडिल स्कूल में अध्यापन (प्रत्येक शिक्षक का पृथक् व्यौरा दें)			
	शिक्षक का नाम (1)	पिता/पति का नाम (2)	जन्मतिथि (3)
	शैक्षणिक अर्हता विषयों सहित	व्यावसायिक अर्हताएं	अध्यापन अनुभव
	(4)	(5)	(6)
	कक्षा/कक्षाएं जिसमें पढ़ाते हैं (7)	नियुक्ति दिनांक (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
2. प्रारंभिक एवं माध्यमिक (सेकेण्डरी) दोनों में अध्यापन (प्रत्येक शिक्षक का पृथक् व्यौरा दें)			
	शिक्षक का नाम (1)	पिता/पति का नाम (2)	जन्मतिथि (3)
	शैक्षणिक अर्हता विषयों सहित	व्यावसायिक अर्हताएं	अध्यापन अनुभव

	(4)	(5)	(6)
	कक्षा / कक्षाएं जिसमें पढ़ाते हैं (7)	नियुक्ति दिनांक (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
3. प्रधान अध्यापक			
	शिक्षक का नाम (1)	पिता / पति का नाम (2)	जन्मतिथि (3)
	शैक्षणिक अर्हता विषयों सहित (4)	व्यावसायिक अर्हताएं (5)	अध्यापन अनुभव (6)
	कक्षा / कक्षाएं जिसमें पढ़ाते हैं (7)	नियुक्ति दिनांक (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

ज. पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम ब्यौरा		
1.	प्रत्येक कक्षा (कक्षा आठ तक) में अनुसरित पाठ्यचर्या एवं पाठ्य क्रम विवरण का ब्यौरा 1. राज्य सरकार 2. सी बी एस ई 3. अन्य	
2.	छात्र मूल्यांकन प्रणाली	
3.	क्या स्कूल के छात्रों के लिए कक्षा-8 तक की परीक्षा बोर्ड द्वारा अपेक्षित है।	

झ. अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के प्रयोजन के लिए पड़ोस की सीमा	
-------------------------------------------------------------	--

- अ. प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ने राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा इस प्रयोजन हेतु संधारित वेबसाइट पर उपरोक्त वर्णित जानकारी भी दर्ज करा दी है।
- ट. प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए स्कूल खुला रहेगा।
- ठ. प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ने ऐसी रिपोर्ट एवं जानकारी, जो कि अपेक्षित की जाए, जिला शिक्षा अधिकारी को समय-समय पर दिए जाने का बचन दिया है और स्कूल की मान्यता की शर्तों की पूर्ति की निरंतरता बनाए रखने या स्कूल के कार्य में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी ऐसे अनुदेशों का पालन किया है।
- ड. प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या समुचित अधिकारी को निरीक्षण के लिए किसी भी समय दिए जाएंगे तथा स्कूल, यथास्थिति, संसद / राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही या कर्तव्य के निर्वहन के लिए केन्द्र और/या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी या प्रशासन को समस्त ऐसी जानकारियां, जो कि आवश्यक हों, प्रस्तुत करेगा।
- ढ. स्कूल, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकथित मान्यता की शर्तों का पालन करेगा।

हस्ता/

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्राचार्य

स्थान

स्कूल का नाम.....

प्ररूप - 2
(नियम 11 (4) देखिए)

दूरभाष:

ई-मेल:

फैक्स:

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी

(जिले का नाम)

मध्यप्रदेश

दिनांक-----

क्रमांक:-----

प्रबंधक,

----- स्कूल का नाम

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक----- तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके----- (स्कूल का नाम एवं पता) को कक्षा-----से कक्षा-----तक के लिए दिनांक-----से-----तक तीन वर्ष की कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

1. मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
2. स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा देता है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।

4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
5. सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
6. स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा—
 - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि—
 - (एक) किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - (दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - (तीन) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - (चार) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - (पांच) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - (छह) अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
 - (सात) शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - (आठ) प्रायवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
 - (नौ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो;
 - (दस) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।

8. स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में बालकों का नामांकन करेगा।
10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

स्कूल परिसर का क्षेत्रफल.....
 कुल निर्मित क्षेत्रफल.....
 खेल मैदान का क्षेत्रफल.....
 कक्षाओं के कमरों की संख्या.....
 प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय-सह-स्टोर कक्ष.....
 लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् प्रसाधन.....
 स्वच्छ पेयजल सुविधा

11. लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
12. आपके स्कूल को आवंटित मान्यता कोड नम्बर.....एवं डाईस (DISE) कोड नम्बर.....है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
13. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
14. सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
15. अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

प्ररूप - 3
(नियम 11 (5) देखिए)
अनंतिम मान्यता

दूरभाष:

ई-मेल:

फैक्स:

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी
----- (जिले का नाम)
मध्यप्रदेश

दिनांक-----

क्रमांक:-----

प्रबंधक,

स्कूल का नाम-----

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (5) के अधीन स्कूल के लिए अनंतिम मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक----- तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके----- (स्कूल का नाम एवं पता) को कक्षा-----से कक्षा-----तक के लिए दिनांक-----से-----तक-----वर्ष की कालावधि के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:—

1. मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता / संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
2. स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. स्कूल अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री-स्कूल) शिक्षा देता है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।

4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
5. सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
6. स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा—
 - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि—
 - (एक) किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - (दो) किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - (तीन) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - (चार) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - (पांच) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - (छः) अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी;
 - (सात) शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - (आठ) प्रायवेत शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
 - (नौ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो;
 - (दस) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना

शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।

8. स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में बालकों का नामांकन करेगा।
10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई:-
 - स्कूल परिसर का क्षेत्रफल.....
 - कुल निर्मित क्षेत्रफल.....
 - खेल मैदान का क्षेत्रफल.....
 - कक्षाओं के कमरों की संख्या.....
 - प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय-सह-स्टोर कक्ष.....
 - लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् प्रसाधन.....
 - स्वच्छ पेयजल सुविधा.....
 - मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर (किचन).....
 - बाधा रहित प्रवेश की सुविधा.....
 - पठन-पाठन सामग्री/खेल एवं खेलकूद उपकरण/
पुस्तकालय की उपलब्धता.....
11. लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
12. आपके स्कूल को आवंटित मान्यता कोड नम्बर.....एवं डाईस (DISE)कोड नम्बर.....है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
13. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
14. सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
15. मान्यता, अधिनियम की धारा 18 के अधीन नवीकरण के अध्यधीन रहेगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

प्ररूप - 4
(नियम 19 देखिए)

----- (स्कूल का नाम)
जिला----- मध्यप्रदेश

प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि कु./श्री-----पुत्री
/पुत्र----- (माता का नाम) तथा पुत्री/पुत्र-----
(पिता का नाम) निवासी----- (पता)----- जन्म तारीख
----- शैक्षणिक सत्र----- से शैक्षणिक सत्र----- तक
इस स्कूल का विद्यार्थी था। उसने प्रारंभिक शिक्षा----- वर्ष में पूर्ण की है।
यह प्रमाणपत्र बालक को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार
अधिनियम, 2009 की धारा 30 (2) के अधीन जारी किया जाता

----- (तारीख)

हस्ताक्षर

----- (पदनाम)

----- (स्कूल का नाम)

स्कूल की मुद्रा

अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त
स्कूल की दशा में मान्यता क्रमांक-----
स्कूल का डाइस कोड-----

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(शोभा इवनाती)
उपसचिव

Bhopal Dated 26 March 2011

No. F-44/9/2011/ 20-2.--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

RULES**1. Short title, extent and commencement.**

(1) These rules may be called the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.

(2) They shall extend to the whole of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.

(1) In these rules , unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009);
- (b) "Anganwadi" means an anganwadi centre established under the Integrated Child Development Scheme of the Ministry of Women and Child Development of the Government of India;
- (c) "Block Elementary Education Officer" means officer responsible for implementing the programmes for elementary education at the block level;
- (d) "Chapter" "Section" and "Schedule" means respectively Chapter, Section of, and Schedule to, the Act;
- (e) "Councillor" means elected member of a ward of a urban local body;
- (f) "district" means revenue district of the State;
- (g) "District Education Officer" means officer responsible for management of elementary education at district level;

- (h) "Extended limit of neighbourhood" means the neighbourhood area of the limit of neighbourhood defined under clause (k);
- (i) "Gram Sabha" shall have the same meaning as assigned to it in clause (vii) of section 2 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);
- (j) "Jan Shikshak" means resource teacher that coordinates academic activities in a cluster of schools;
- (k) "Limit of neighbourhood" means, in case of classes I to V, in rural area, the village and adjoining villages and adjoining wards of urban area, if any, and in urban area, the ward and adjoining wards and adjoining villages, if any, and in case of classes VI to VIII, area of 3 k.m. from this limit;
- (l) "Middle school" means school that imparts education from classes VI to VIII;
- (m) "Panch" means elected member of a ward of Gram Panchayat;
- (n) "Primary school" means school that imparts education from classes I to V;
- (o) "Rajya Shiksha Kendra" means the office of the head of the department responsible for management of elementary education;
- (p) "School mapping" means planning school location to overcome social barriers and geographical distance.

(2) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Special Training For Out of School Children.

- (1) The School Management Committee under the guidance of the local authority shall, as provided under section 4, identify children requiring special training and organise such training in the following manner, namely:-
- (a) The special training shall be based on specially designed age appropriate learning material, approved by the academic authority specified in section 29;
- (b) It shall be provided in classes held in the premises of the school, or through classes organised in safe residential accommodation;
- (c) It shall be provided by teachers working in the school, or by teachers specially appointed for the purpose;

(d) The duration shall be for a minimum period of three months which may be extended, based on periodical assessment of learning progress, for a maximum period not exceeding two years.

(2) The child shall, upon induction into the age appropriate class, after special training, continue to receive special attention by the teacher to enable him/her to successfully integrate with the rest of the class, academically and emotionally.

4. Areas or limits for the purposes of section 6.

- (1) The areas or limits of neighbourhood within which a school has to be established by the State Government shall be the area or limit as defined in clause (k) of sub-rule (1) of rule 2.
- (2) Wherever required, the State Government shall upgrade existing schools from classes I to V to include classes VI to VIII. In respect of schools which start from class VI onwards, the State Government shall endeavour to add classes I to V, wherever required.
- (3) In areas with difficult terrain, risk of landslides, floods, lack of roads and in general danger for young children in the approach from their homes to the school, the State Government/local authority shall locate the school in such a manner as to avoid such dangers, by relaxing the limits specified under sub-rule (1).
- (4) For children from small hamlets or any other place as identified by the State Government/local authority, where no school exists within the area or limit of neighbourhood specified under sub-rule (1) above, the State Government/local authority shall make adequate arrangements, such as free transportation, residential facilities and other facilities, for providing elementary education in a school, in relaxation of the limits specified under sub-rule (1).
- (5) In areas with high population density, the State Government/local authority may consider establishment of more than one neighbourhood school, having regard to the number of children in the age group of 6-14 years in such areas.
- (6) The local authority shall identify the neighbourhood school(s) where children can be admitted and make such information public for each habitation within its jurisdiction.
- (7) In respect of children with disabilities which prevent them from accessing the school, the State Government/local authority will

endeavour to make appropriate and safe transportation arrangements for them to attend school and complete elementary education.

- (8) The State Government/local authority shall ensure that access of children to the school is not hindered on account of social and cultural factors.

5. Duties of State Government and local authority.

- (1) For the purpose of determining and for establishing neighbourhood schools, the State Government/local authority shall undertake school mapping, and identify all children, including children in remote areas, children with disabilities, children belonging to disadvantaged group, children belonging to weaker section and children referred to in section 4, within a period of one year from the date of publication of the rules and every year thereafter.
- (2) The State Government/local authority shall ensure that no child is subjected to caste, class, religious or gender abuse in the school.
- (3) For the purposes of clause (c) of section 8 and clause (c) of section 9, the State Government and the local authority shall ensure that a child belonging to a weaker section and a child belonging to disadvantaged group is not segregated or discriminated against in the classroom, during mid day meals, in the play grounds, in the use of common drinking water and toilet facilities and in the cleaning of toilets or class rooms.
- (4) The State Government shall ensure that free uniform is provided to all girls and the children belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and below poverty line families studying in schools established, owned or controlled by the State Government or the local authority.

6. Maintenance of records of children by local authority.

- (1) The local authority shall maintain a record of all children in its jurisdiction, through a household survey, from their birth till they attain 14 years. A unique number may be given to every child to monitor his/her enrolment, attendance and learning achievement.

- (2) The record referred to in sub-rule (1) shall be updated each year.
- (3) The record referred to in sub-rule (1) shall be maintained transparently in the public domain and used for the purposes of clause (e) of section 9.
- (4) The record referred to in sub-rule (1) shall, in respect of every child, include-
 - (a) name, sex, date of birth, place of birth;
 - (b) parents / guardians names, address, occupation;
 - (c) pre-primary school/Anganwadi centre that the child attends (upto age 6);
 - (d) elementary school where the child is admitted;
 - (e) present address of the child;
 - (f) class in which the child is studying (for children between age 6-14), and if education is discontinued in the territorial jurisdiction of the local authority, the cause of such discontinuance;
 - (g) whether the child belongs to the weaker section within the meaning of clause (e) of section 2;
 - (h) whether the child belongs to a disadvantaged group within the meaning of clause (d) of section 2;
 - (i) details of children requiring special facilities / residential facilities on account of migration and sparse population; age appropriate admission and disability.

7. Admission of children belonging to weaker section and disadvantaged group.

- (1) The school referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 12 shall not be segregated from the other children in the classrooms nor shall their classes be held at places and timings different from the classes held for the other children.
- (2) The school referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 12 shall not be discriminated from the rest of the children in any manner pertaining to entitlements and facilities such as text books , uniforms , library and Information Communication Technology facilities, extra-curricular and sports.

- (3) The areas or limit of neighborhood specified in rule 4 (1) shall apply to admissions made in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 12:

Provided that the school may, for the purposes of filling up the requisite percentage of seats for children referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 12 admit the children from the extended limit of neighbourhood as defined under clause (h) of sub-rule (1) of rule 2.

- (4) The Jan Shikshak shall maintain a list of children belonging to the disadvantaged group and the weaker section in the limits of neighbourhood of every unaided school, aided and specified category schools within his/her jurisdiction.

8. Reimbursement of per-child expenditure by the State Government.

Reimbursement under sub-section (2) of section 12 read with sub-section (2) of section 7 shall be made at the end of academic session of every year, in March, as decided by the State Government from time to time. For this purpose the first academic session shall be 2011-12.

9. Birth certificate for admission.

Wherever a birth certificate under the Births, Deaths and Marriages Registration Act, 1886 (No. 6 of 1886) is not available, any one of the following documents shall be deemed to be proof of age of the child for the purposes of admission in schools -

- (a) Hospital / Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) register record,
- (b) Anganwadi record,
- (c) Self declaration of the age of the child by the parent or guardian provided that the parent or guardian of the child shall have to submit a certificate of verification of the date of birth of the child within 6 months of admission from any elected representative of the local authority, urban local body or panchayat, of the area where he / she resides:

10. Extended period of admission.

- (1) Extended period of admission shall be three months from the last date of admission of the academic year of a school.
- (2) Where a child is admitted in a school after the extended period, he or she shall be eligible to complete studies with the help of special training, as determined by the head of the school.

11. School recognition.

- (1) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Central Government, the State Government or the local authority, established before or after the commencement of the Act for imparting elementary education shall make an application in Form-1 appended to these rules within a period of four months after the publication of the rules to the District Education Officer, who shall be designated authority to issue certificate of recognition to the school under section 18. The application shall also have details of the limit of neighbourhood of the school that shall be covered under the provision of clause (c) of sub-section (1) of section 12. The application addressed to the District Education Officer shall be submitted through the Block Elementary Education Officer in a manner as determined by Commissioner, Rajya Shiksha Kendra. The school shall furnish information in the electronic form on the website maintained for the purpose so that the school information is available for the public.
- (2) The Block Elementary Education Officer shall verify the information submitted by the school in the application form and send the application form in original along with his report to the District Education Officer for consideration within fifteen days of the receipt of the application.
- (3) The District Education Officer may inspect or may cause to inspect the school to verify if the school seeking recognition fulfills the norms and standards prescribed under section 19. The District Education Officer and the inspecting authority, if it is other than the District Education Officer, shall have power to seek information relevant for the grant of the recognition and to make

inspection of the records to verify the information submitted in the application form for seeking recognition.

- (4) (a) The District Education Officer on being satisfied that the school fulfills the norms and standards prescribed under section 19 shall issue the recognition certificate in Form-2 appended to these rules. The certificate shall be for a period of three years and shall be issued within 45 days from the date of making application for recognition. The certificate of recognition shall be subject to following conditions:-
- (i) the school shall have to maintain norms and standards specified under section 19;
 - (ii) the school shall give admission to a minimum of 25 % in class I for the children of disadvantage group and children of weaker section from the limit of neighbourhood. In case the school is aided school it shall provide free and compulsory elementary education to such proportion of children admitted therein as its annual recurring aid or grants so received bears to its annual recurring expenses, subject to a minimum of twenty-five per cent:

Provided that where a school imparts pre school education, the provisions of clause (a) to (c) of sub-section (1) of section 12 shall apply for admission to pre school;
 - (iii) the school shall set up fire extinguisher and other fire security arrangements as per norms specified under the National Building Code of India- Part 4;
 - (iv) the school is open to inspection by any officer authorised by the State Government/ local authority;
 - (v) the school shall furnish such reports and information as may be required by the State Government, Commissioner, Rajya Shiksha Kendra and District Education Officer from time to time and comply with such instructions of the State Government/ local authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school to meet the provisions of the Act;
 - (vi) the school shall notify fee to be charged from the children every year in such manner as directed by Commissioner, Rajya Shiksha Kendra before the commencement of academic session. It will also intimate the fee to the District Education Officer before the beginning of academic session;

- (vii) the recognition shall be withdrawn in case of violation of the terms and conditions of recognition .
- (b) The school shall have to make an application for renewal of certificate of recognition at least 45 days before the expiry of period of recognition in manner prescribed in sub-rule (1). On receipt of such application, the District Education Officer may renew the school recognition for another 3 years after following the process laid down in sub-rule (2) and (3).
- (5) If a school established before the commencement of the Act does not fulfill the norms and standards specified in the Schedule of the Act, the District Education Officer shall issue a provisional certificate granting permission to run the school for a period up to three years from the date of commencement of the Act .The provisional certificate shall be issued in Form-3 appended to these rules:

Provided that if the school fulfills the required norms and standards within the time frame specified in the provisional certificate, the certificate issuing authority, on receipt of application for recognition, satisfy himself and shall issue the certificate of recognition as laid down under sub-rule (4):

Provided further that if the school does not claim further recognition within the period specified in the provisional certificate, it shall cease to be a recognised school and running of such a school shall be punishable under section 18.

- (6) No new school shall be opened after the commencement of the Act without obtaining recognition certificate issued under section 18.
- (7) Where a school contravenes the conditions of the recognition or any provisions of the Act, the authority issuing the certificate of recognition shall issue show cause notice to the school specifying the violations of conditions of grant of recognition. The school shall be given at least one month time to file the reply .In case the explanation is not found to be satisfactory or no explanation is received within the stipulated time period, the District Education Officer may cause an inspection of the school, to be conducted by a committee of three to five members comprising of educationalists, civil society representatives, media and Government representatives, which shall make due enquiry and submit report, along with its recommendations for continuation of recognition or its withdrawal to the District Education Officer . On receipt of the

report and recommendations of the committee the District Education Officer may pass order for withdrawal of recognition:

Provided that no order for withdrawal of recognition shall be passed by the District Education Officer without giving the school adequate opportunity of being heard:

Provided further that no such order shall be passed by the District Education Officer without prior approval of the School Education Department of the State Government.

- (8) The order of withdrawal of recognition passed by the District Education Officer shall be operative from the immediate succeeding academic year and shall specify the neighbourhood schools to which the children of the that school shall be admitted .
- (9) Information of recognition of any school shall be sent to the local authority i.e. to the urban local body in case the school is situated in the urban area and to the Gram Panchayat and Janpad Panchayat in case the school is situated in the rural area.

12. School Management Committee.

- (1) A School Management Committee shall be constituted in every school, other than an unaided school, within its jurisdiction, within six months of the publication of the rules and reconstituted every two years.
- (2) (a) The committee shall be 18 members committee for the primary school and 16 members committee for the middle school. Of them minimum three fourth members shall be from the mothers and fathers or guardians of the children enrolled in the school . Two members shall be the elected representatives . The head teacher or the senior most teacher and senior most female teacher of the school shall be members of the committee . The head teacher or the senior most teacher shall be ex-officio member secretary of the committee .
- (b) In the primary school members shall be selected as follows-
 - (i) mother and father or guardian of each of such child who has secured highest percentage of marks in the annual examination of the preceding academic session in class I, II , III and IV ;

(ii) mother and father or guardian of child one each belonging to scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes categories who has secured highest percentage of marks in their respective category in the annual examination of the preceding academic session in classes I to IV;

(iii) Councillor of the ward in urban areas and Panch of the ward in rural areas, where the school is situated ;

(iv) one woman Councillor nominated by Mayor/ Chairperson of the urban local body in urban areas and one woman Panch nominated by Sarpanch of the Gram Panchayat in rural areas where the school is situated;

(v) head teacher or the senior most teacher and senior most female teacher of the school.

(c) In middle school members will be selected as follows-

(i) mother and father or guardian of each of such child who has secured highest marks in the annual examination of the preceding academic session in class V, VI and VII ;

(ii) mother and father or guardian of child one each belonging to scheduled castes , scheduled tribes and other backward classes categories who has secured highest percentage of marks in their respective category in the annual examination of the preceding academic session in classes V to VII;

(iii) Councillor of the ward in urban areas and Panch of the ward in rural areas, where the school is situated ;

(iv) one woman Councillor nominated by Mayor/ Chairperson of the urban local body in urban area and one woman Panch nominated by Sarpanch of the Gram Panchayat in rural area where the school is situated;

(v) head teacher or the senior most teacher and senior most female teacher of the school.

(3) There shall be a Chairperson of the committee.

(4) The Chairperson shall be elected from amongst the members of the committee:

Provided that elected representatives, Councillor / Panch and the teachers including head teacher or the senior most teacher shall not be eligible for participating in election nor they shall have any voting right.

- (5) The School Management Committee shall meet at least once a month and the minutes and decisions of the meetings shall be properly recorded. In absence of the Chairperson, members of the committee shall elect one of them to chair the meeting of the committee.
- (6) The committee may invite person/persons, from the neighbourhood, if services of such person/persons are useful for school development.
- (7) The School Management Committee shall, in addition to the functions specified in clauses (a) to (d) of sub-section (2) of section 21 perform the following functions, for which it may constitute smaller working groups from amongst its members :
- (a) communicate in simple and creative ways to the population in the limit of neighbourhood of the school, the rights of the child as enunciated in the Act; as also the duties of the State Government, local authority, school, parent and guardian;
 - (b) ensure the implementation of clauses (a) and (e) of section 24 and section 28 ,
 - (c) monitor that teachers are not burdened with non academic duties other than those specified in section 27;
 - (d) ensure the enrolment and continued attendance of all the children from the limit of neighbourhood in the school;
 - (e) monitor the maintenance of the norms and standards prescribed in the Schedule of the Act;
 - (f) bring to the notice of the local authority any deviation from the rights of the child, in particular mental and physical harassment of children, denial of admission, and timely provision of free entitlements as per section 3(2);
 - (g) identify the needs, prepare a plan, and monitor the implementation of the provisions of section 4;
 - (h) monitor the identification and enrolment of, and facilities for learning of disabled children and ensure completion of their elementary education;
 - (i) monitor the implementation of the mid-day meal in the school;
 - (j) prepare an annual account of receipts and expenditure of the school;
 - (k) monitor regularity and punctuality of the teachers of the school.
- 8) Any money received by the committee shall be credited in the account of the committee .The account shall be the joint account of the Chairperson and the member secretary of the committee. The account shall be made available for audit whenever required .

13. Preparation of School Development Plan.

- (1) The School Management Committee shall prepare a school development plan at least three months before the end of the financial year in which it is first constituted under the Act.
- (2) The school development plan shall be a three year plan comprising three annual sub plans.
- (3) The school development plan, shall contain the following details –
 - (a) estimates of class-wise enrolment for each year;
 - (b) requirement, over the three year period, of the number of additional teachers, including head teachers, subject teachers and part time instructors, separately for Classes I to V and classes VI to VIII, calculated with reference to the norms specified in the Schedule;
 - (c) physical requirement of additional infrastructure and equipments over the three year period, calculated with reference to the norms and standards specified in the Schedule;
 - (d) additional financial requirement over three year period, year-wise, in respect of (b) and (c) above, including additional requirement for providing special training facility specified in section 4, entitlements of children such as free text books and uniforms, and any other additional financial requirement for fulfilling the responsibilities of the school under the Act.
- (4) The school development plan should be signed by the Chairperson and member secretary of the School Management Committee and submitted to the State Government or the local authority, as the case may be, before the end of the financial year in which it is to be prepared.

14. Salary and allowances and terms and conditions of service of teachers.

Salary and allowances payable to teachers and their terms and conditions of service shall be as follows –

(i) In case of government teachers their salary, allowances and terms and conditions of service shall be such as decided by the State Government from time to time.

(ii) In case of teachers of the local authority, their salary and allowances and terms and conditions shall be as decided by the State Government from time to time under the provisions of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) or the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961) and the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994)

(iii) In case of teachers of schools not falling under sub-clause (i) and (ii) of clause (n) of section 2, salary and allowances and their terms and conditions of service shall be decided by the respective school management subject to legislations and regulations, if any, in force. The State Government, from time to time, may issue directions, on its discretion, in this regard that shall be binding on the management.

15. Duties of Teachers.

- (1) In performance of the functions specified in sub-section (1) of section 24 and in order to fulfill the requirements of clause (h) of sub-section (2) of section 29, the teacher shall maintain a file containing the pupil cumulative record for every child which shall be the basis for awarding the completion certificate specified in sub-section (2) of section 30.
- (2) In addition to the functions specified in clauses (a) to (e) of sub-section (1) of section 24, a teacher may perform the following duties assigned to him or her, without interfering with regular teaching:
 - (a) participation in training programmes;
 - (b) participation in curriculum formulation and development of syllabi, training modules and text book development.
- (3) Minimum number of working hours per week for the teacher shall be 45 hours including preparation hours.

16. Grievance redressal of teachers.

- (1) The School Management Committee constituted under section 21 shall be the first level of grievance redressal of teachers of schools specified therein.

- (2) The teacher of the school established, owned or controlled by the State Government or the local authority may send the grievance to the controlling officer, who will dispose of the complaint within 30 days of receipt of the complaint and inform the teacher accordingly.
- (3) There shall be a district level grievance redressal committee to redress the grievances of the teachers .
- (4) The committee shall comprise of Collector, Superintendent of Police, Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Chief Medical and Health Officer, Commissioner or Chief Municipal Officer of local urban body at the district headquarters, Assistant Commissioner, Tribal Welfare / District Organiser Tribal Welfare and District Education Officer. The Collector shall be the Chairperson of the committee. The District Education Officer shall be the convener of the committee. The Collector may invite such other officers as he deems appropriate for the purpose of redressal of grievance to the committee meetings.
- (5) The committee should meet every quarter.
- (6) In case any teacher is not satisfied with the decision of the controlling officer as specified in sub-rule(2), he/she may submit his/her grievance in writing to the convener of the committee. The grievance may also be submitted through Government education portal. The committee after the enquiry, as it deems fit, shall redress the grievance. The convener of the committee shall communicate the decision of the committee to the teacher within one month of the decision.
- (7) The committee, besides attending to the grievances received from the teachers, shall, on its own, review the status of the various claims and service related matters of the teachers .
- (8) The schools falling under sub-clause (iv) of clause (n) of section 2 shall develop its own mechanism for redressal of grievances of teachers.

17. Maintaining Pupil-Teacher Ratio in each school.

- (1) The State Government or the local authority within 6 months from the date of commencement of the Act may rationalise the existing teachers in schools established, owned or controlled by the State Government or local authority, as the case may be, to redress the problems of urban, rural and other spatial imbalances in teacher placements and initiate the process of recruitment of new teachers

to fill vacant posts as per pupil teacher ratio stipulated in the Schedule of the Act.

- (2) District Education Officer shall provide updated schoolwise information of teachers and classwise enrollment of students on the Government education portal. The Rajya Shiksha Kendra shall review the teacher positioning every year before the academic session .
- (3) If any person of the State Government or the local authority violates the provisions of sub-section (2) of section 25, he shall be personally liable for disciplinary action.

18. Academic authority for laying down the curriculum and evaluation procedure.

- (1) The State Government shall notify the State Council of Educational Research and Training , a wing of the Rajya Shiksha Kendra, as the academic authority for the purposes of section 29 .
- (2) While laying down the curriculum and evaluation procedure, the academic authority notified under sub-rule (1) shall take into consideration the provisions of section 29(2).
- (3) The academic authority referred to in sub-rule (1) shall design and implement a process of holistic quality assessment of child on a regular basis.

19. Award of certificate for completion of elementary education.

The head teacher or the senior most teacher of the school shall issue the certificate of completion of elementary education of the child within one month of the completion of elementary education in Form-4 appended to these rules:

Provided that the recognized schools shall stamp prominently on the certificate the number of recognition certificate issued by the recognition certificate issuing authority .

20. Constitution of the State Advisory Council.

- (1) The State Advisory Council shall consist of Chairperson and Co-Chairperson and twelve members.
- (2) The Minister in-charge of the Department of School Education in the State Government shall be the ex-officio Chairperson of the Council. The Minister in-charge of the Department of Tribal Welfare in the State Government shall be the ex-officio Co-chairperson.

- (3) Members of the Council, shall be appointed by the State Government from amongst persons having knowledge and practical experience in the field of elementary education and child development, as under-
- (a) at least one member should be from amongst persons having specialised knowledge and practical experience of education of children with special needs;
 - (b) at least one member should be from amongst persons having specialised knowledge in the field of pre-primary education ;
 - (c) at least one member should be from amongst persons having specialized knowledge and practical experience in the field of teacher education.
- (4) Commissioner, Rajya Shiksha Kendra, shall be the Member Secretary of the council. The Secretary, School Education and the Secretary, Tribal Welfare shall be special invitees, if they are not members.
- (5) The procedure for transaction of Business of the Council shall be as under-
- (i) The Council shall meet once in three month;
 - (ii) Quorum of the meeting of the Council shall be considered complete if eight of its members are present.
- (6) The allowances and other terms and conditions for appointment of members of the Council shall be as decided by the State Government from time to time.

21. Power to issue directions.

The State Government shall have powers to issue directions to redress any issue or difficulty that comes up in the process of implementation of the rules.

FORM 1
[see rule 11 (1)]
SELF DECLARATION CUM APPLICATION
FOR GRANT OF RECOGNITION OF SCHOOL

----- (name of place) Date-----

To,

The District Education Officer

District-----

Madhya Pradesh

Sir,

I forward herewith a self declaration regarding compliance with the norms and standards prescribed in the Schedule to the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and application in the prescribed proforma for the grant of recognition to (Name of the school) .

Yours faithfully,

Enclosure :

Chairman of Managing
Committee/Manager/Principal
Name of the school-----

A. School Details		
1.	Name of School	
2.	Academic Session	
3.	District	
4.	Postal Address	
5.	Name of Village & Ward No.	-----ward no.--- -----
6.	If urban area Name of city & Ward No.	-----ward no.--- -----
7.	Block	
8.	Pin Code:	
9.	Phone No. with STD Code	
10.	Fax No.	
11.	E-mail address, if any	
12.	Police Station	
13.	Longitude	
14.	Latitude	

B. General Information		
1.	Date of First Opening of School (DD/MM/YY)	
2.	Is it the school run by Trust/Society/Organisation	Yes/No
3.	If yes - a-Name of the Society/Trust/ Organisation b- Registration No. of Trust /Society/Organisation (Please enclose copy of the document of registration)	
4.	If No - a-Name of the Owner b- Address	
5.	Name and official address of the Manager/President/Chairman of the School	
	Name	
	Designation	
	Address	

Phone	(O)
	(R)
Mobile No.	
E-mail address	

C. Nature and area of School	
1.	Medium of Instruction
2.	Specify entry class
3.	Minimum age of admission in entry class
4.	Specify exit class
5.	If aided by Govt./local authority, a- the name of the Govt./local authority b- Amount received as aid for last year c- percentage of aid against expenditure
6.	Is school recognized-Yes or No
7.	If yes, • Name of the authority • Recognition number • DISE code
8.	Does the school have its own building or is it running in a rented building.
9.	Total area of the school
10.	Builtup area of the school(enclose photographs of the building)
11.	Area of play ground
12.	Whether school is under obligation to provide free education to specified number of children on account of having received any land , building , equipment or other facilities , either free of cost or at a concessional rate from the State Government , Central Government and local authority?
13.	If yes , enclose copy of the document

D. Status of Enrolment & Fee				
	Class	No. of Section	No. of Students	Annual fee
1.	Pre-primary-Nursery			
2.	Pre-primary-KG-I			
3.	Pre-primary-KG-II			
4.	I			
5.	II			
6.	III			
7.	IV			
8.	V			
9.	VI			
10.	VII			
11.	VIII			

E. Infrastructure Details			
	Room	Numbers	Average Size
1.	Classroom		
2.	Office room - cum - Store Room - cum - Headmaster Room		
3.	Kitchen - Cum - Store		

F. Other Facilities		
1.	Whether all facilities have barrier free access	
2.	Teaching Learning Material (attach list)	
3.	Sports and Play equipments (attach list)	
4.	Facility of books in Library • Books (No. of books)	

	• Periodical/Newspapers	
5.	Type and number of drinking water facility	
6.	Sanitary Conditions	
	(i) Type of toilets	
	(ii) Number of toilets separately for Boys	
	(iii) Number of toilets Separately for Girls	
7	Is Fire security system available	

G. Particulars of Teaching Staff

1. Teaching in primary/ middle school exclusively (details of each teacher separately)

Teacher Name (1)	Father/Spouse Name (2)	Date of Birth (3)
Academic Qualification with subjects (4)	Professional Qualifications (5)	Teaching Experience (6)
Class /Classes Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)

2. Teaching in Both Elementary and Secondary (details of each teacher separately)

Teacher Name (1)	Father/Spouse Name (2)	Date of Birth (3)
Academic Qualification with subjects (4)	Professional Qualifications (5)	Teaching Experience (6)

	Class /Classes Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)
3. Head Teacher			
	Teacher Name (1)	Father/Spouse Name (2)	Date of Birth (3)
	Academic Qualification with subjects (4)	Professional Qualifications (5)	Teaching Experience (6)
	Class /Classes Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)

H. Curriculum and Syllabus

1.	Details of curriculum & syllabus followed in each class (upto VIII) 1. State Govt. 2. CBSE 3. Others	
2.	System of pupil assessment.	
3.	Whether pupils of the school are required to take any Board exam upto class 8?	

I- Limit of Neighbourhood for purpose of section 12 (1) (c) of the Act	
---------------------------------------------------------------------------------------	--

- J- Certified that the school has also entered the information detailed above in the web site maintained by the Rajya Shiksha Kendra for the purpose.
- K. Certified that the school is open to inspection by any officer authorised by the appropriate authority.
- L. Certified that the school undertakes to furnish such reports and information as may be required by the District Education Officer from time to time and complies with such instructions of the appropriate authority or the District Education Officer as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.
- M. Certified that records of the school pertinent to the implementation of this Act shall be open to inspection by any officer authorised by the District Education Officer or appropriate authority at any time, and the school shall furnish all such information as may be necessary to enable the Central and / or State Government/ local body or the administration to discharge its or his obligations to Parliament / Legislative Assembly of the State, as the case may be.
- N. The school shall abide by the conditions of recognition as laid down by the competent authority .

Sd./-

Chairman/Manager/Principal
Name of the school

Place :

Form 2
[see rule 11 (4)]

Phone:
E-Mail:
Fax:

OFFICE OF DISTRICT EDUCATION OFFICER

------(name of district) Madhya Pradesh

No.

Dated:

The Manager,
------(name of the school)

Sub: Recognition Certificate for the School under sub -rule (4) of rule 11 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 for the purpose of section 18 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your application dated _____and subsequent correspondence with the school/inspection in this regard, I convey the grant for recognition to the _____ (name of the school with address) for Class ____ to Class ____ for a period of three years w.e.f. ____ to ____.

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The grant for recognition is not extendable and does not in any way imply any obligation to recognize/affiliate beyond Class VIII.
2. The school shall abide by the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.
3. The school shall give admission to a minimum of 25 % in class I for the children of disadvantage group and children of weaker section from the limit of neighbourhood. In case the school is aided school it shall provide free and compulsory elementary education to such proportion of children admitted therein as its annual recurring aid or grants so received bears to its annual recurring expenses, subject to a minimum of twenty-five per cent. Provided that where a school imparts pre school

- education, the provisions of clauses (a) to (c) of sub-section (1) of section 12 of the Act shall apply for admission to pre school .
4. For the children referred to in paragraph 3, the school shall be reimbursed as per section 12(2) of the Act. To receive such reimbursements school shall provide a separate bank account.
 5. The society/school shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parents or guardians to any screening procedure.
 6. The School shall not deny admission to any child
 - (a) for lack of age proof,
 - (b) if such admission is sought subsequent to the extended period prescribed for admission;
 - (c) on the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.
 7. The school shall ensure:
 - (i) No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school;
 - (ii) No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment;
 - (iii) No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education;
 - (iv) Every child completing elementary education shall be awarded a certificate as laid down under rule 19;
 - (v) Inclusion of students with disabilities/special needs as per provision of the Act;
 - (vi) The teachers are recruited with minimum qualifications as laid under section 23(1) of the Act. Provided that the current teachers who, at the commencement of this Act do not possess minimum qualifications shall acquire such minimum qualifications within a period of 5 years from the commencement of the Act ;
 - (vii) The teacher performs its duties specified under section 24(1) of the Act, and
 - (viii) The teachers shall not engage himself or herself for private teaching activities.

- (ix) Fire security arrangements as per norms specified under the National Building Code of India- Part 4 are set up.
- (x) Fee to be charged from the children is notified every year in such manner as directed by Commissioner, Rajya Shiksha Kendra before the commencement of academic session and District Education Officer is intimated before the beginning of academic session.
8. The school shall follow the curriculum laid down by appropriate authority.
9. The school shall enroll students proportionate to the facilities available in the school as prescribed in section 19 of the Act.
10. The School shall maintain the standards and norms of the school as specified in section 19 of the Act. The facilities reported at the time of last inspection are as given under:-
- Area of school campus -----
- Total built up area-----
- Area of play ground-----
- No. of class rooms-----
- Room for Headmaster-cum-Office-cum-Storeroom-----
- Separate toilet for boys and girls -----
- Safe Drinking Water Facility -----
- Kitchen for cooking Mid Day Meal-----
- Barrier free Access -----
- Availability of Teaching Learning Material/Play Sports Equipments/Library-----
11. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared as per rules. A copy each of the Statements of Accounts should be sent to the District Education Officer every year.
12. The recognition Code Number allotted to your school is -----
-- and DISE code is ----- .This may please be noted and quoted for any correspondence with this office.

13. The school shall furnish such reports and information as may be required by the Rajya Shiksha Kendra /District Education Officer from time to time and complies with such instructions of the State Government/ local authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school;
14. Renewal of registration of society /trust, if any, be ensured.
15. The recognition shall be withdrawn if the contravention of the provisions of the Act, the rules and conditions of recognition is found and proved .

Yours faithfully,

District Education Officer

Form 3
[see rule 11 (5)]
Provisional recognition

Phone:

E-Mail:

Fax:

OFFICE OF DISTRICT EDUCATION OFFICER

----- (name of district) Madhya Pradesh

No.

Dated:

The Manager,

----- (name of the school)

Sub: Provisional Recognition Certificate for the School under sub-rule (6) of rule 11 of the Right of the Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 for the purpose of section 18 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your application dated _____ and subsequent correspondence with the school/inspection in this regard, I convey the grant for provisional recognition to the _____ (name of the school with address) for Class ____ to Class ____ for a period of ----- years w.e.f.----- to -----

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The grant for recognition is not extendable and does not in any way imply any obligation to recognize/affiliate beyond Class VIII.
2. The school shall abide by the provisions of the Right of the Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.
3. The school shall give admission to a minimum of 25 % in class I for the children of disadvantage group and children of weaker section from the limit of neighbourhood. In case the school is aided school it shall provide free and compulsory elementary education to such proportion of children admitted therein as its annual recurring aid or grants so received bears to its annual recurring expenses, subject to a minimum of

twenty-five per cent. Provided that where a school imparts pre school education, the provisions of clause (a) to (c) of sub-section (1) of section 12 of the Act shall apply for admission to pre school .

4. For the children referred to in paragraph 3, the school shall be reimbursed as per section 12(2) of the Act. To receive such reimbursements school shall provide a separate bank account.
5. The society/school shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parents or guardians to any screening procedure.
6. The School shall not deny admission to any child
 - (a) for lack of age proof,
 - (b) if such admission is sought subsequent to the extended period prescribed for admission,
 - (c) on the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.
7. The school shall ensure:
 - (i) No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school;
 - (ii) No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment;
 - (iii) No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education;
 - (iv) Every child completing elementary education shall be awarded a certificate as laid down under rule 19.
 - [v] Inclusion of students with disabilities/special needs as per provision of the Act;
 - (vi) The teachers are recruited with minimum qualifications as laid under section 23(1) of the Act. Provided that the current teachers who, at the commencement of this Act do not possess minimum qualifications shall acquire such minimum qualifications within a period of 5 years from the commencement of the Act ;
 - (vii) The teacher performs its duties specified under section 24(1) of the Act, and
 - (viii) The teachers shall not engage himself or herself for private teaching activities.

- [ix] Fire security arrangements as per norms specified under the National Building Code of India- Part 4 are set up.
- [x] Fee to be charged from the children is notified every year in such manner as directed by Commissioner, Rajya Shiksha Kendra before the commencement of academic session and District Education Officer is intimated before the beginning of academic session.
8. The school shall follow the curriculum laid down by appropriate authority.
9. The school shall enroll students proportionate to the facilities available in the school as prescribed in section 19 of the Act.
10. The School shall maintain the standards and norms of the school as specified in section 19 of the Act. The facilities reported at the time of last inspection are as given under:-
- Area of school campus -----
- Total built up area -----
- Area of play ground -----
- No. of class rooms-----
- Room for Headmaster-cum-Office-cum-Storeroom -----
- Separate toilet for boys and girls -----
- Safe Drinking Water Facility -----
- Kitchen for cooking Mid Day Meal -----
- Barrier free Access -----
- Availability of Teaching Learning Material/Play Sports Equipments/Library -----
11. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared as per rules. A copy each of the Statements of Accounts should be sent to the District Education Officer every year.
12. The recognition Code Number allotted to your school is -----
----, and DISE code is ----- .This may please be noted and quoted for any correspondence with this office.

13. The school furnishes such reports and information as may be required by the Rajya Shiksha Kendra /District Education Officer from time to time and complies with such instructions of the State Government/ local authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school;
14. Renewal of registration of society /trust, if any, be ensured.
15. The recognition shall be subject to renewal under section 18 of the Act.

Yours faithfully,

District Education Officer

Form 4
(see rule 19)

----- (name of the school)

District -----Madhya Pradesh

Certificate of Completing Elementary Education

This is to certified that Miss / Mr. ----- daughter / son of ----- (name of the mother) and daughter / son of ----- (name of the father) resident of ----- (address) date of birth ----- was the student of this school ----- from academic session ----- to academic session -----. She / he has completed elementary education in the year -----.

This certificate is issued to the child under section 30 (2) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act ,2009 .

_____(date)

Signature

----- (Designation)

----- (name of the school)

Seal of the school

Recognition number in case of aided and unaided school -----

DISE code of the school-----

**By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,**

SHOBHA IVANATI
Deputy Secretary